रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265553
CG-DL-E-21082025-265553

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3688] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947
No. 3688] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

का.आ. 3792(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है:

और, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ परामर्श के पश्चात, अपने दिनांक 15.12.2022 के पत्र संख्या 13(16)/2022-ईजी-II के अधीन श्रम और रोजगार मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त मंत्रालय कहा गया है), भारत सरकार को यह अनुमति प्रदान की थी कि सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विहित उद्देश्यों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को प्रमाणीकरण करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है और इसे आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन इसे अधिसूचित किया जा सकता है।

और, उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथा विहित, सुशासन और सामाज कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम सुनिश्चित करने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त उद्देश्य कहा गया है) के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग हेतु आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा और उक्त उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन स्वैच्छिक आधार पर होगा और कर्मचारी राज्य बीमा निगम केवल सदाशयी प्रसुविधा पाने वाले को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने साथ

ही सुशासन और स्कीम तंत्र के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए [जिसे इसमें इसके पश्चात उपयोग मामले कहा गया है] ही आधार प्रमाणीकरण का निष्पादन करेगा।

अतः अब, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में और भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 230(अ), तारीख, 13 जनवरी, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 13 जनवरी, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. (1) अधिनियम में यथा उपबंधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसमें प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

   (2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों के बारे में आधार संख्या धारक को सूचित करेगा और आधार अधिप्रमाणित करने से मना करने या असमर्थ होने पर आधार संख्या धारक को किसी भी सेवा से मना नहीं करेगा, अर्थात्:-

   क. पासपोर्ट

   ख. पैन कार्ड

   ग. ड्राइविंग लाइसेन्स

2. यह अधिसूचना, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-19025/27/2022–एसएस–I]

डॉ महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

S.O. 3792(E).— WHEREAS the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

AND WHEREAS, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no. 13(16)/2022-EG-II, dated 15.12.2022 to the Ministry of Labour and Employment (hereinafter referred to as the said Ministry), Government of India for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the Employees' State Insurance Corporation is allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act):

AND WHEREAS, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance and prevention of dissipation of social welfare benefits (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that Employees State Insurance Corporation shall perform the Aadhaar authentication only for delivery of social security benefits to bona-fide beneficiaries as well as to ensure good governance and effective administration of scheme mechanism [hereinafter referred to as the use cases].

NOW, THEREFORE, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Labour and Employment vide Number S.O. 230(E), dated the 13th January, 2023, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 13th January, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Ministry of Labour and Employment hereby notifies the following, namely: -

1. (1) The Employees' State Insurance Corporation, as provided in the said Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on voluntary basis. The Employees' State Insurance Corporation shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

(a) Passport;

(b) PAN card; and

(c) Driving license.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. R-19025/27/2022-SS-I]
Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.21 09:31:31 +05'30'